अपनी लागत में कमी करने के लिये मारुति उद्योग लिमिटेड को निर्देश

1301. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए सरकार ने उद्योगों से अपनी लागत में कमी करने का आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे निर्देश मेसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड को भी जारी किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्ष के दौरान मेसर्स मारुति उद्योग लिमिटिड ने कार्य की नई पद्धति को अपनाकर अपने प्रशासनिक-व्यय में वृद्धि की है; और

(ङ) यदि हां, तो मेसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड ने क्या-क्या परिवर्तन किये हैं और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) यह सही है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निर्दोष लागत लेखा प्रणाली और उत्पादन लागत की नियमित समीक्षा की आवश्यकता के बारे में पहले से बल देती रही है ।

(ख) और (ग) उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए मेसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड को कोई निश्चित निर्देश नहीं दिया गया है । फिर भी मारुति उद्योग लिमिटेड उत्पादन लागत कम करने का लगातार प्रयास कर रहा है ।

(घ) जी, नहीं । कुल आय में प्रशासनिक व्यय का अनुपात, वर्ष 1984–85 के 1.53 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1989–90 में लगभग 0.45 प्रतिशत रह गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Permission to the Pharmacy students for Appearing in the examination

1302. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that 120 students of a local pharmacy college in New Delhi had been initially denied permission to appear in the final examination by the Delhi Administration;

(b) whether these students were ultimately allowed to appear in the final examination only through the intervention of the High Court; and

(c) what steps Government propose to take to avoid recurrence of such incidents?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RASHEED MASOOD): (a) and (b) The Delhi Administration has reported that the students of a Pharmacy college were not permitted to appear in the examination, since the institution is not an approved one and the matter is still subjudice.

(c) The Delhi Administration is reiterating through public notices that no technical institution shall be started without the prior approval of the All India Council for Technical Education, as per the provisions of All India Council for Technical Education Act.